10 अध्याय

राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र

इस अध्याय में आप सीखेंगे किः

- राज्य सरकार की संरचना, उसके कार्य क्षेत्र, शक्ति और महत्व के बारे में जानकारी।
- राज्यों के साथ संघीय शासन प्रणाली और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की आवश्यकता पर विशेष जानकारी।

राज्य विधान मण्डल का परिचय (Introduction to State Legislature)

भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से मिलकर बनता है। राज्य व्यवस्थापिका के प्रथम अथवा निम्न सदन को विधानसभा तथा द्वितीय या उच्च सदन को विधान परिषद् कहा जाता है।

राज्य विधान परिषद (State Legislative Council)

राज्य विधानमण्डल का उच्च सदन विधान परिषद है जिसमें नामनिर्देशित एवं परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के प्रवर्तन के समय, 26 जनवरी, 1950 को छः राज्यों—उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब एवं बिहार के विधान मण्डल में दो सदनों की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 168 में उपबन्ध किया गया था। 1950 के उपरांत कुछ राज्यों में विधान परिषदें स्थापित की गई, जबकि कुछ राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सात राज्यों में विधान परिषदें सृजित हैं। यद्यपि संविधान के सातवें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। नवगठित राज्य झारखण्ड, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है।

राज्य विधान परिषद की संरचना (Structure of the State Legislative Council)

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम न होगी। संसद को विधान परिषद के गठन के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है, किन्तु जब तक संसद ऐसा न करे तब तक विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्षी रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। सदस्यों का निर्वाचन मण्डल द्वारा होगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य स्थानीय प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य चुने जाते हैं।
2. राज्य के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक नागरकों के निर्वाचक मण्डल द्वारा सदस्यों के बारहवें भाग का निर्वाचन किया जाता है। नागरिकों को स्नातक की डिग्री लिए हुए तीन वर्ष होने आवश्यक है।
3. माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों में तीन वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों के द्वारा निर्मित निर्वाचक मण्डल विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं।
4. एक तिहाई सदस्य विधान सभा सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं है (इसमें गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान 2003 से लागू कर दिया गया है)।
5. शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामजद किये जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाजसेवा में विशिष्ट स्थान रखने वाले व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।

राज्यविधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। वह आदेश पारित कर राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आवंटन में मिले स्थानों की संख्या को अवधारित करता है। राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर विभिन्न प्रांतों की विधान परिषद के लिए भिन्न-भिन्न स्थान नियत किये गये हैं।

विधान परिषद के सदस्यों के लिए अर्हता

विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो:

1. भारत का नागरिक हो,
2. कम से कम तीस वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तथा
3. संसद द्वारा निश्चित की गयी योग्यता धारण करता हो।

संसद ने राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं निश्चित की हैं—राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को उस राज्य के किसी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद में कोई व्यक्ति तभी मनोनीत किया जायेगा जब उस राज्य का मूल निवासी हो।

सदस्यता के लिए निर्रहताएँ

संविधान के अनुच्छेद 191 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्नलिखित व्यक्ति अयोग्य होंगे:

1. यदि वह व्यक्ति केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण करता है।
2. यदि वह विकृतचित्त, दिवालिया है।
3. यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर चुका है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किये हुए है।
4. यदि वह संसद के किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची में उल्लेखित किसी निरर्हता को प्राप्त कर लेता है तो सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

विधान परिषद की अवधि

विधान परिषद का राज्य सभा की तरह कभी अवसान नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। इस प्रकार विधान परिषद राज्य व्यवस्थापिका का स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

विधान परिषद की बैठक एवं गणपूर्ति (Quroum)

विधान परिषद की वर्ष में दो बार बैठक तथा दो बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानपरिषद की गणपूर्ति तभी होती है जब उसके सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हों, किन्तु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की बैठक तभी मुमकिन होती है जब कम-से-कम 10 प्रतिशत सदस्य मौजूद हों अर्थात यह संख्या इससे कम नहीं होनी चाहिए।

विधान परिषद के पदाधिकारी

विधानपरिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से सदन कार्यसंचालन के लिए सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करते हैं। सभापति तथा उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक वे सदन के सदस्य होते हैं। इससे पूर्व सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये उक्त सदन के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से 14 दिन की पूर्व सूचना देते हुए हटाये जा सकते हैं।

तालिका 10.1: विधान परिषदों की सदस्य संख्या

राज्य	स्थानीय संस्थाओं से निर्वाचित	स्नातकों द्वारा निर्वाचित	शिक्षकों द्वारा निर्वाचित	विधानसभा	राज्यपाल द्वारा मनोनीत	कुल सदस्य
1. उत्तर प्रदेश	36	8	8	38	10	100
2. बिहार	24	6	6	27	12	75
3. महाराष्ट्र	22	7	7	30	12	78
4. कर्नाटक	21	6	6	21	9	63
5. जम्मू-कश्मीर	6	–	2	22	6	36
6. आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	58
7. तेलांगना	–	–	–	–	–	40

तालिका 10.2: लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा, विधान परिषदःएक झलक में

आधार	लोकसभा	राज्यसभा	विधानसभा	विधान परिषद
अधिकतम सदस्य	552 [530 राज्यों से + 20 के.प्र. से + 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित	250 [233 राज्यों + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित	500 (न्यूनतम 60 सदस्य परंतु कुछ राज्य इसका अपवाद है)	राज्य विधान सभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं।
वर्तमान संख्या	वर्तमान 545 [530 राज्यों से +13 के.प्र. से + 2 राष्ट्रपति द्वारा] ***नोट***—शेष 7 सीटें POK के लिए है।	245 (233 राज्यों से + 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित ये लोग कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा के क्षेत्र से)	***नोट***—विधान परिषद में सहकारिता में भी	मात्र 7 राज्यों के विधान परिषद है- उ.प्र., बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना
सर्वाधिक सदस्य संख्या वाले राज्य	1. उ.प्र.(80), 2. महाराष्ट्र(48), 3. पं. बंगाल (42) 4. आंध्र प्रदेश (42)	1. उ.प्र.(31), 2. महाराष्ट्र(19), 3. तमिलनाडु (18)	उत्तर प्रदेश (403), पं. बंगाल (295), महाराष्ट्र (288), बिहार (242), मध्य प्रदेश (230), आंध्र प्रदेश (175)	उ.प्र. (100), महाराष्ट्र (78), बिहार (75), कर्नाटका (75)
न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य	गोवा, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी के. प्र.(दिल्ली को छोड़कर) में मात्र 1-1 सीटें	गोवा, पुडुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य (असम को छोड़कर) मात्र 1-1 सीटें।	गोवा, मिजोरम, (40-40 सीटें), सिक्किम (32 सीटें), पुडुचेरी (30 सीटें)	कर्नाटक (63), जम्मू-कश्मीर (36), तेलांगना (34)
प्रकार	अस्थायी सदन	स्थायी सदन	अस्थायी सदन	स्थायी सदन ***नोट***—सत्रावसान किया जा सकता है
गठन से संबंधित अनुच्छेद	अनु. 81	अनु. 80	भाग-6, अनुच्छेद 168-212 (गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में)	अनु. 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है।
आयु	न्यूनतम 25 वर्ष आयु आवश्यक	न्यूनतम 30 वर्ष आयु आवश्यक	न्यूनतम 25 वर्ष आयु आवश्यक	न्यूनतम 30 वर्ष आयु आवश्यक
विशेष	कार्यकाल 5 वर्ष परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्री परिषद के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है।	यह कभी भंग नहीं होती बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्य सभा का सदस्य रहता है।	कार्यकाल 5 वर्ष परंतु इस अवधि से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती हैं।	यह कभी भंग नहीं होती बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है।
पदाधिकारी	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	सभापति और उपसभापति	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	सभापति और उपसभापति
अन्य नाम	निम्न सदन/लोकप्रिय सदन	उच्च सदन	निम्न सदन/लोकप्रिय सदन	उच्च सदन
गणपूर्ति (करोम) के लिए आवश्यक सदस्य	कुल संख्या का 1/10	कुल संख्या का 1/10	कुल संख्या का 1/10	कुल संख्या का 1/10

विधान सभा

विधान सभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पाँच सौ से अधिक एवं साठ से कम नहीं होगी। राज्य के चुनाव क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा विधानसभा का चुनाव होता है।

वर्तमान में संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा खण्ड (क) के नियमों के अनुसार वर्ष 2026 तक स्थिर कर दी गयी है, अर्थात् सन् 2026 की जनसंख्या गणना तक राज्य विधानसभाओं के चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को यह शक्ति है कि यदि उसकी राय में आंग्ल-भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकता है (23वें संविधान संशोधन 1969 से संख्या केवल एक कर दी गयी)।

विधान सभा के सदस्यों के लिए अर्हता

संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा की सदस्यता के लिए संविधान द्वारा वही योग्यता विहित है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित है, अर्थात:

1. वह भारत का नागरिक हो,
2. वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
3. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो,
4. संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि के अधीन विधि निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता हो,
5. वह अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ण करता हो, अर्थात् वह दिवालिया, पागल न हो एवं उसने अन्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त न की हो।

विधानसभा की अवधि

विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, किंतु जनता पार्टी शासनकाल में पुन: 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह समय घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राज्यपाल राज्य विधान सभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपातकाल में संसद में विधि निर्माण द्वारा विधान मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के समाप्त होने के बाद इसका बढ़ा हुआ समय 6 माह तक रह सकता है। सामान्य अवस्था में 5 वर्ष के पश्चात् विधान सभा स्वत: भंग हो जाती है।

विधान सभा के पदाधिकारी

राज्य विधानसभा में दो पदाधिकारी होते हैं—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इन दोनों पदाधिकारियों का निर्वाचन विधान सभा सदस्यों द्वारा सदन की प्रथम बैठक में किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्त्तव्यों को निर्वहन करता है। यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो विधानसभा दूसरे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है।

विधान सभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ—राज्य विधान सभा का अध्यक्ष राज्य विधानसभा का संरक्षक, व्यवस्थापक एवं सदन के कार्यों का निष्पक्ष निर्णायक है। लोकसभा के अध्यक्ष के अनुरूप ही राज्य विधान सभा अध्यक्ष की स्थिति शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य हैं। विधान सभा अध्यक्ष से यह अपेक्षित है कि एक बार अध्यक्ष के महत्त्वपूर्ण पद पर पीठासीन होने के बाद वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करे। अध्यक्ष विधान सभा में व्यवस्था एवं मर्यादा को बनाये रखते हुए विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विधानसभा में उसकी अनुमति के बिना कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। वह संविधान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करता है। वह सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के साथ उसे सम्बोधित कर सकता है। वह सदन में अव्यवस्था की स्थिति में सभा की कार्यवाही को स्थगित, सभा की कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त अशिष्ट एवं असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निष्कासित कर सकता है। उसके पास अनुशासनात्मक शक्ति है, जिसकी तुलना 'हाउस ऑफ कामन्स' से की जा सकती है। वह सदन में आपत्ति एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रश्नों पर अपने निर्णय देता है। वह सदन के नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी सदस्य को सभा से निष्कासित या निलम्बित कर सकता है। वह सदन का स्थगन/निलम्बन कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। दल-बदल पर उठे किसी प्रश्न पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार अध्यक्ष को है। सामान्यत: विधानसभा का अध्यक्ष सभा में मतदान नहीं करता, किंतु गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं को सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह सदन का निलम्बन या सत्रावसान कर सकता है।

राज्य विधान मण्डल की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions of State Legislative Assembly)

विधान मण्डल राज्य विधायिका का अंग है, इसका प्रमुख कार्य विधि निर्माण है और विधि निर्माण उन सभी विषयों पर किया जाता है, जिनका उल्लेख राज्य सूची में है। राज्य विधानमण्डल के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां निम्नांकित हैं:

विधायी शक्तियां

राज्य विधान मण्डल संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर विधान निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही राज्य विधानमण्डल समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु दोनों में विरोध होने पर संघ की विधि मान्य होगी। यदि विधानमण्डल द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो उस विषय पर बनाया गया केन्द्र का कानून राज्य पर लागू नहीं होगा।

राज्य विधानमण्डलों में दो प्रकार के विधेयक प्रस्तावित किये जाते हैं। साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक। दोनों को पारित होने के लिए विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है।

सामान्य विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया

- सामान्य विधेयक राज्य व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में अर्थात् राज्य विधान परिषद अथवा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। विधान सभा सदस्य किसी विधेयक को प्रस्तुत कर उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देता है। विधेयक का विरोध होने की स्थिति में विरोधी को कारण स्पष्ट करना होता है। इस तरह विधेयक को रखना प्रथम वाचन कहलाता है।
- विधेयक का द्वितीय चरण अर्थात् द्वितीय वाचन में विधेयक पर विस्तृत खण्डशः एवं शब्दशः विचार-विमर्श तथा विवाद होता है। विधेयक पर कभी-कभी सीधे विचार-विमर्श होता है अथवा कभी उसे समिति को सौंप दिया जाता है। सार्वजनिक महत्त्व या विवाद से सम्बन्धित विधेयक को जनता की राय लेने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक को समिति को सौंपने का निर्णय होता है तो विषय के विशेषज्ञों की समिति, जिसमें विरोधी दल के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व हो, के द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श एवं मतदान के पश्चात् विधेयक तृतीय वाचन में जाता है।
- तृतीय वाचन में विधेयक पर समग्र चर्चा होती है और उसमें व्याकरणिक त्रुटियाँ दूर की जाती हैं और दूसरे सदन के पास भेज दिया जाता है।
- विधान परिषद् पहली बार तीन माह की देरी कर सकता है पुनः एक माह भी देरी कर सकता है इस तरह कुल चार माह की देरी कर सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।

कार्यपालिका शक्तियां

राज्य विधानमण्डल को कुछ कार्यपालिका सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का भी वहन करना होता है। राज्य की कार्यपालिका राज्य के लोकप्रिय सदन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने तक पद पर बनी रहती है। राज्य विधान सभा या विधान मण्डल निम्न प्रकार से मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है:

1. राज्य विधानमण्डल के सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्रियों से नीति सम्बन्धी या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।
2. विधानमण्डल आय-व्यय या बजट सम्बन्धी विचार-विमर्श के दौरान विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य सार्वजनिक कठिनाइयों को भी सदन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।
4. परिस्थितियों के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो अविश्वास प्रस्ताव परित करके मंत्रिपरिषद को समय से पूर्व पदच्युत भी कर सकती है।

किंतु कार्यपालिका पर नियंत्रण की उक्त सैद्धांतिक नियंत्रण है। राज्य के बजट को विधान मण्डल द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय मामलों में विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से अधिक है। वित्त विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, साथ ही विधान सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को विधान परिषद 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है।

विधान परिषद के सुझावों को मानना विधान सभा में ही अनुदानों की मांगों पर मतदान बजट में निहित राशियों में कटौती, आरोपित करों में छूट दी जा सकती है। वित्त पर नियंत्रण सार्वजनिक लेखा समिति तथा अनुमान समिति के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय आपातकाल में संसद राज्य विधान सभा को वित्त सम्बन्धी निर्देश दे सकती है तथा राज्य के वित्त विधेयक को अपने समक्ष प्रस्तुत करके उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकती है।

संविधान संशोधन की शक्ति

सामान्यतः संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भारतीय संघ की इकाइयों को प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ विषयों में राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर देश के आधे विधानमण्डलों की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। वर्तमान में महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में आधे या आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी।

राज्य व्यवस्थापिका की उक्त शक्तियों से स्पष्ट है कि संघ की व्यवस्थापिका के समान ही राज्य विधान के व्यवस्थापिका सदनों को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं किंतु विधान परिषद की स्थिति विधान सभा की अपेक्षा कम महत्त्व की है। विधान परिषद आदि आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक नामांकित सदस्यों से मिलकर बनी है। यह विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है। विधान परिषद का अस्तित्त्व ही विधान सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधान सभा को यह शक्ति है कि वह संसद के अधिनियम द्वारा द्वितीय सदन की समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर सकती है।

राज्य विधानमण्डल के विशेषाधिकार

अनुच्छेद 194 के अनुसार राज्य के विधानमण्डल को संघ की संसद के विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105) के समान विशेषाधिकारों की शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रत्येक सदन इस बात का निर्णायक है कि उसके विशेषाधिकार क्या हैं तथा किसी मामले में इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। न्यायालय इस संदर्भ में सदन के विनिश्चय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। विधान मण्डल के प्रत्येक सदन को ऐसे विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए या अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति है।

राज्यपाल (Governor)

संघ और राज्य दोनों में ही संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। जिस प्रकार संघ का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्यों

का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। संविधान में भाग-6 अनुच्छेद 153-162 में राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। अनु. 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा किया गया है।

अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी उम्र 35 वर्ष से कम न हो।
- वह किसी राज्य में विधानमंडल अथवा संसद का सदस्य न हो, यदि हो तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले उसे उसकी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।
- वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
- वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो।

राज्यपाल के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। सितम्बर 2008 में राज्यपाल का वेतन 36000 से बढ़ाकर 1,10,000 रु. कर दिया गया था। राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। पांच वर्ष से पूर्व भी उसे हटाया जा सकता है। पाँच वर्ष के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत पद धारण करता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य

(Powers and Functions of Governer)

कार्यपालिका शक्तियाँ

अनुच्छेद 154 के अनुसार 'राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है। जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है'। राज्यपाल को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है।

राज्य का अध्यक्षः राज्य का समस्त शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, नियुक्ति संबंधी अधिकारः

- राज्यपाल साधारणतया मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्यों के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो-इण्डियन तथा राज्य की विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत कर सकता है।

विवेक संबंधी अधिकारः कुछ राज्यों में राज्यपाल अपनी इच्छा से शासन कर सकता है, किन्तु इसके लिए वह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और वह उनके प्रतिनिधि के रूप में इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए—असम के राज्यपाल को अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्र में स्वेच्छापूर्वक निर्णय तथा शासन करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जब विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकता हो।

संकटकालीन शक्तियाँ

यदि राज्यपाल यह अनुभव करता है कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है या राज्य में आंतरिक शांति भंग हो गयी है या होने की संभावना है तो वह इसकी सूचना भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उस स्थिति में राज्यपालः

- राष्ट्रपति के आदेशानुसार शासन का समस्त कार्य-भार अपने हाथ में ले सकता है।
- राज्य का अध्यक्ष होने के कारण राज्यपाल विधानसभा को भंग करने या उसकी अवधि बढ़ाने का भी अधिकार रखता है।

सूचना प्राप्त करने का अधिकारः राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। साथ ही मुख्यमंत्री का भी कर्त्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमण्डल के सभी निर्णयों से अवगत कराये। राज्यपाल, मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष पुनर्विचार के लिए रखने को कह सकता है।

वैधानिक शक्तियाँ

राज्यपाल यद्यपि विधान मंडल का सदस्य नहीं होता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह ही वह भी विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल को कई प्रकार की वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुला सकता है। अधिवेशन बुलाने के सम्बंध में राज्यपाल इस बात का ध्यान रखता है कि दो अधिवेशनों के बीच का काल 6 माह से अधिक न हो। राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है तथा अपना संदेश भेज सकता है। प्रत्येक विधेयक को अधिनियम का रूप धारण करने के पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। राज्यपाल के स्वीकृति देने के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाता है।

धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है विशेषकर उन विधेयकों को जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकार प्रभावित होने की संभावना है। समवर्ती सूची के वे विधेयक जो केन्द्रीय सरकार के किसी अधिनियम का विरोध करते हैं, उसी समय पारित समझा जायेगा जब राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान कर दे।

राज्यपाल विधानपरिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। प्रत्येक वर्ष विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होता है जिसमें राज्य की नीति का वर्णन होता है। यह अभिभाषण राज्य मंत्रिपरिषद तैयार करता है।

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

कोई भी धन विधेयक बिना राज्यपाल की सिफारिश के विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता अर्थात् विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जा सकती है। राज्यपाल वार्षिक बजट एक राज्य के वित्तमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी अनुदान की मांग बजट के बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं की जा सकती। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है। संकटकाल में आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल इसमें से धन का व्यय कर सकता है।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

राष्ट्रपति के समान राज्यपाल को भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल को उन समस्त विषयों से संबंधित अपराधों के लिए जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड को कम करने, स्थगित करने तथा परिवर्तन करने के संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पूर्णत: समाप्त करने का कोई नहीं है। राज्यपाल अपने इस अधिकार का प्रयोग उन अपराधों के लिए नहीं कर सकता जो संघ के शासन की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ऐसा करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।

राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ

संविधान में यह बात कही गई है कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्य कर सकता है। इस मामले में राष्ट्रपति की अपेक्षा उसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई है, जबकि राज्यपाल के सम्बन्ध में इस तरह का कोई उपबन्ध नहीं है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा, राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त हैं:

- राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना।
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
- पड़ोसी केन्द्रशासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में काम करना।
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद् को देय राशि का निर्धारण करना।
- राज्य के विधानपरिषद् एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।

इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद् से परामर्श लेता है और अपने विवेक से निर्णय लेता है, ये इस प्रकार हैं:

- **महाराष्ट्र:** विदर्भ एवं मराठावाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना।
- **गुजरात:** सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना।
- **नागालैण्ड:** त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विघ्नों के चलते कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में।
- **मणिपुर:** राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना।
- **अरूणाचल प्रदेश:** राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना।
- **असम:** जनजातीय इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था।
- **सिक्किम:** राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना।

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार में राष्ट्रपति की जो स्थिति होती है उसकी उपेक्षा राज्यपाल की राज्य सरकार में मजबूत स्थिति होती है। अत: राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, साथ ही वह केन्द्र का प्रतिनिधि भी होता है।

अन्य अधिकार

राज्यपाल लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है तथा उसे राज्य मंत्रिपरिषद के पास विचार के लिए भेजता है। इसके बाद वह प्रतिवेदन को मंत्रिपरिषद के विचार से विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष रखता है। वह राज्य के आय-व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को प्राप्त करता है।

राज्यपाल चुना हुआ क्यों नहीं हो सकता

संविधान सभा में इस विषय में अत्यन्त वाद-विवाद चलता रहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए अथवा निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा। अंत में, यह निर्णय किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए, न कि चुनाव द्वारा। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं:

1. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन प्रणाली आपस में मेल नहीं खाते। यदि राज्यपाल सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो वह जनता का प्रतिनिधि होने के नाते प्राप्त संबंधित शक्तियों का प्रयोग स्वयं करना चाहेगा। वह किसी शर्त पर भी संवैधानिक मुखिया बनना पसन्द नहीं करेगा। एक निर्वाचित राज्यपाल तथा विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमण्डल में संघर्ष होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री भी जनता द्वारा निर्वाचित होंगे।
2. यदि राज्यपाल राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा तो वह राजनीतिक गठबंधन से ऊपर नहीं उठ सकेगा। उसके निर्वाचन में जो दल उसकी सहायता करेंगे, वह उनका ऋणी होता हुआ सदैव उनके हाथ में कठपुतली बना रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी न होते हुए केवल कुछ वर्षों के लिए होगा। इसलिए वह पुनर्निर्वाचन की आशा से विधानमण्डल के बहुसंख्यक दल को प्रसन्न करने का यत्न करता रहेगा।

3. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व तो करेगा, परंतु केन्द्रीय सरकार की नहीं। इस दशा में एक निर्वाचित राज्यपाल संघ तथा राज्य सरकार में किसी बात पर मतभेद अथवा वाद-विवाद हो जाने पर केन्द्रीय सरकार का पक्ष नहीं ले सकेगा, न ही उसके हित की रक्षा कर सकेगा।

4. संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग में आने के समय जब भारत में संघीय सरकार का ढांचा एकात्मक रूप में बदल जाएगा तो उस दशा में संघीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही इस प्रकार के एकात्मक शासन के साथ मेल खा सकेगा तथा संघीय सरकार के निर्देशन का पालन करेगा। एक निर्वाचित राज्यपाल के लिए संघीय सरकार का प्रतिनिधि बन कर कार्य करना संभव नहीं हो सकेगा।

तालिका 10.3: राष्ट्रपति व राज्यपाल के क्षमदान के अधिकार की तुलना

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. राष्ट्रपति को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड (कोर्ट मार्शल आदि के बाद) के आदेश के सम्बंध क्षमादान, प्रतिलम्बन, विराम, निलम्बन, परिहार अथवा लघु करण का अधिकार है।	1. राज्यपाल को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।
2 राष्ट्रपति को यह शक्ति वहाँ प्राप्त है जहाँ दण्ड अथवा दंडादेश ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए है जिस पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।	2. राज्यपाल को यह शक्ति वहाँ प्राप्त है जहाँ दण्ड या दंडादेश ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए है जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
3. मृत्यु दंडादेश में क्षमादान का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।	3. राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमादान करने की शक्ति का अधिकार नहीं है लेकिन राज्यपाल को दंड संहिता की धारा 54 और दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 432-433 में कुछ परिस्थितियों में मृत्युदंड को निलम्बित करने, परिहार अथवा लघुकरण करने का अधिकार है।
4. राष्ट्रपति को संघ तथा समवर्ती सूची के विषयों से सम्बन्धित बनाई गई विधियों के अधीन किए गए अपराधों के क्षमादान की शक्ति है।	4. राज्यपाल को राज्य-सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों से सम्बन्धित बनाई गई विधियों के अधीन किए गए अपराधों के क्षमादान की शक्ति है। समवर्ती क्षेत्र की विधियों के सम्बन्ध में राज्यपाल की अधिकारिता राष्ट्रपति के समकक्ष है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। राज्यों में संघ की तरह ही मंत्रीपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। जिस प्रकार केन्द्र में मंत्रिपरिषद प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है, उसी प्रकार राज्य में मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। स्वविवेक का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है।

साधारणत: मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, किन्तु विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल यदि ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लेता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा उसे अपने पद से हटना पड़ता है।

सामान्यत: मुख्यमंत्री का कार्य काल 5 वर्ष का होता है। किन्तु वास्तविकता यह है कि जब तक उसे विधानसभा का बहुमत मिलता रहता है, वह अपने पद पर बना रह सकता है। बहुमत के समाप्त होते ही उसे त्यागपत्र देना पड़ता है या फिर राज्यपाल को सलाह देकर विधान सभा को भंग करवा सकता है। अपने पद को ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ

मंत्रिमण्डल का गठन: मंत्रिमंडल का गठन राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा ही मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जाता है। राज्यपाल उस सूची को मात्र स्वीकृति प्रदान करता है। मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधान मण्डल का सदस्य न हो, परंतु ऐसे व्यक्ति को 6 माह की अवधि की शर्त कार्यकाल में केवल एक बार लागू होगी बार-बार नहीं।

विभाग का वितरण: मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है तथा वह जब चाहे उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है।

मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता: मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, उनकी बैठकें बुलाता है।

मंत्रियों को हटाना: कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता। वह जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के कहने पर त्याग पत्र नहीं देता है तो वह राज्यपाल को सलाह देकर उसे पदच्युत करवा सकता है।

अन्य कार्य

मुख्यमंत्री ही शासन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करता है अर्थात् मुख्यमंत्री सभी विभागों की देखभाल करता है। राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराता है। राज्यपाल किसी विषय को मंत्रिपरिषद में विचार करने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। मुख्यमंत्री विधान मंडल का नेता होता है। यह सरकार की सभी महत्त्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है।

मुख्यमंत्री राज्य में होने वाले महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। राज्यपाल सभी नियुक्तियाँ मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। उदाहरण के लिए-राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य आदि। मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। शासन की प्रत्येक समस्या पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जब उसे सदन में बहुमत प्राप्त नहीं रहता तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं:

- या तो वह त्याग पत्र दे, या फिर
- राज्यपाल से कहकर विधानसभा को भंग करा दे।

मुख्यमंत्री राज्य का नेता होता है। अत: वह कोशिश करता है कि राज्य के समस्त व्यक्तियों का कल्याण संभव हो सके। मुख्यमंत्री अपने दल का भी नेता होता है। पार्टी की लोकप्रियता व चुनावों में सफलता मुख्यमंत्री के व्यक्ति पर काफी हद तक निर्भर करती है। चुनावों के समय पार्टी की टिकटों को बाँटने में मुख्यमंत्री की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाषण देता है तथा पार्टी प्रचार के सभी साधन अपनाता है।

संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन
(Union Territory and Its Administration)

मूल संविधान द्वारा भारत में चार प्रकार के राज्यों; यथा—A, B, C तथा D का गठन किया या था; जिनमें क्रमश: 10, 8, 9 तथा 1 राज्य थे। 1953 में न्यायमूर्ति फजलअली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों के उक्त चार वर्गों को समाप्त कर उन्हें दो वर्गों, यथा—(1) राज्य तथा (2) संघ राज्य क्षेत्रों में रखा गया। वर्तमान में भारतीय संघ के तहत कुल 28 राज्य व 7 संघ राज्य क्षेत्र, यथा—दिल्ली, पाण्डुचेरी, दमन-दीव, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चण्डीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग-8, अनु. 239-242 के अंतर्गत किया गया है। इसमें अनु. 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट पदनाम से जाना जाता है। विभिन्न संघ शासित राज्यों के प्रशासकों के पदनाम भिन्न-भिन्न हैं। यथा—दिल्ली, पाण्डुचेरी और अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल, चण्डीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अन्य शेष संघ राज्यों में प्रशासक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चण्डीगढ़ का प्रशासक होता है तथा दादर और नगर हवेली का प्रशासक 'दमन और दीव' का भी कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है।

राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और जहाँ कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वहाँ वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है (अनु. 239)।

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार (जिन संघ राज्यों में विधानसभा है) चलाता है। ध्यातव्य है कि जिन संघ राज्यों की अपनी विधानसभा नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण संसद करती है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मूल संविधान में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान नहीं किया था—किन्तु संसद को अनु. 239 के तहत यह शक्ति प्रदान की गयी थी कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम (1962) द्वारा संविधान में अनु. '239 क' को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा 'संघ राज्य क्षेत्र' पुडुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनु. 239 क (2) के अनुसार संसद द्वारा इस अनु. के तहत विधानमण्डल या मंत्रिपरिषद के सृजन हेतु बनायी गई विधि, अनु. 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, भले ही उससे संविधान में संशोधन होता हो। अत: पाण्डुचेरी में विधानसभा का प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि संसदीय विधि द्वारा किया गया है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन
(Administration of National Capital Region-Delhi)

(अनुच्छेद-239 क क तथा 239 क ख)

स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था समय-समय पर परिवर्तित की जाती रही है। संविधान के लागू होने पर इसे 'सी' श्रेणी के तहत रखा गया तथा उसके लिए 48 सदस्यीय विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर एक 'प्रशासक' नियुक्त किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया तथा विधानसभा और मंत्रिपरिषद को समाप्त कर शासन व्यवस्था के लिए 'चीफ कमिश्नर' नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे। अत: 1966 में संसद द्वारा 'दिल्ली प्रशासन विधेयक' पारित किया गया। इसके तहत दिल्ली में एक 'अंतरिम महानगर परिषद' की स्थापना की गयी, जिसके सदस्यों की संख्या 47 थी। 1967 में अंतरिम महानगर परिषद को समाप्त कर

'नवीन महानगर परिषद' की स्थापना की गयी, जिसके सदस्यों की संख्या 64 नियत की गयी। कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उप-राज्यपाल (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) की व्यवस्था की गयी। उप-राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और यह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता था। 1967 में की गयी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति भी लोगों द्वारा लगातार असंतोष व्यक्त किया जा रहा था और दिल्ली में लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए मांग की जा रही थी। अत: 1987 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति गठित की गई, इसके पश्चात् 'बालकृष्णन समिति' गठित की गई। जिसने अपनी रिपोर्ट 1989 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1991) पारित कर संविधान में अनु. 239 क (क) और 'अनु. क (ख)' को जोड़ा गया तथा इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के तहत् संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है, इसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जायेगा अनु. 239 क क (1)।

उपराज्यपाल (Lieutenant Governor): अनु. 239 के तहत नियुक्त दिल्ली के प्रशासक को अब 'उप-राज्यपाल' (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) कहा जाता है। उप-राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह उसके प्रति ही उत्तरदायी द्वारा होता है। उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ वहाँ की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। यह राष्ट्रपति द्वारा नामित एक ऐसा अधिकार है जो विशेष प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। यह कुछ क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारों का भी प्रयोग करता है। उपराज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान अनु. 239 ख में दिया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भी लागू होता है।

विधानसभा: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। यह अब भी 'संघ राज्यक्षेत्र' ही है लेकिन दिल्ली में सीमित शक्तियों वाले लोकप्रिय शासन (मंत्रिपरिषद और विधानसभा) की व्यवस्था की गई है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। विधानसभा का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। उप-राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है।

विधानसभा को सम्पूर्ण दिल्ली संघीय राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिये गये विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है, किंतु इसे लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार नहीं है। भूमि के अंतर्गत भूमि प्राप्ति, भूमि सुधार, भूमि काश्तकारी, भूमि लेखे, भूमि विकास और कृषि ऋण आते हैं। अत: इनके सम्बन्ध में विधानसभा कोई विधि नहीं बना सकती है।

विधानसभा को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है—लेकिन इसे संविधान के अनु. 286, 287 और 288 के तहत क्रय कर, ब्रिक्री कर, पानी और बिजली पर कर लगाने का अधिकार है। विधानसभा के सदस्यों को अन्य राज्यों की विधानसभा (1992) द्वारा प्रदान किया गया है।

मंत्रिपरिषद: दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उप-राज्यपाल के अलावा एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान भी है। इसके सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद से सम्बंधित विशेष बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे न कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेंगे और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छापर्यन्त अपने पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

मंत्रिपरिषद उप-राज्यपाल को उन सभी विषयों के सम्बन्ध में परामर्श देगी, जिनके सम्बन्ध में विधानसभा को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। किसी विषय पर उप-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद होने पर राज्यपाल उस मामले के निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में जब कोई विषय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और उप-राज्यपाल की राय में उसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है तब उप-राज्यपाल ऐसी कार्यवाही करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संवैधानिक तंत्र की विफलता: यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से सूचना मिलने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है:

- कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन अनु. 239 क क अथवा इस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, अथवा
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा 239 क, द्वारा 239 (क) के किसी उपबन्ध या उसके अधीन विधान सभा द्वारा बनाई गयी किसी विधि के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकता है तथा कोई ऐसा अन्य उपबन्ध कर सकता है जो उसे उचित प्रशासन हेतु आवश्यक प्रतीत हो (अनु. 239 क ख)।

पुडुचेरी का प्रशासन
(Administration of Puducherry)

सामान्यतया संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से चलाता है (अनु. 239), किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति संसद द्वारा बनाई गयी विधि के अधीन है। 14वें संविधान संशोधन (1962) द्वारा संविधान में अनु. 239 क को जोड़कर संसद को यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह विधि द्वारा पुडुचेरी सहित कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान मण्डल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 'संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम-1963' पारित कर कुछ संघ राज्यों में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन किया। इनमें से

पुडुचेरी को छोड़कर शेष को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अतः वर्तमान में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ अनु. 239(क) के तहत संसदीय विधि द्वारा सृजित विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद है।

पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 है। विधानसभा से सम्बन्धित सभी प्रावधान अन्य राज्यों के समान ही है किंतु इसकी शक्तियाँ अन्य राज्यों की विधान सभाओं की तुलना में कुछ कम है। पुडुचेरी के प्रशासनिक अधिकारी को उपराज्यपाल कहा जाता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकार होता है।

पुडुचेरी में भी एक मंत्रिपरिषद है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों में सहायता और परामर्श प्रदान करता है तथा सामूहिक रूप में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उप-राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में किसी विषय पर मतभेद की दशा में वह विषय विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उस विषय में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। दिल्ली के समान ही पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।

उल्लेखनीय है कि पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उन्हें अधिकार दिल्ली विधानसभा सदस्यों के साथ 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है।

अध्यादेश जारी करने की शक्ति

अनु. 339-(ख) के तहत पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासकों (उप-राज्यपालों) को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यदि विधानसभा सत्र में न हो तथा प्रशासनिक की राय में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, किंतु ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश पद ही जारी किया जायेगा—अन्यथा नहीं। जबकि विधानसभा का विघटन कर दिया गया हो या उसका कार्यकरण निलंबित कर दिया गया हो तो प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन के दौरान कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा। प्रशासक द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो उस संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम का होता है।

प्रत्येक अध्यादेश को विधानमण्डल के समक्ष उसके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर रखना आवश्यक है। विधानमण्डल अध्यादेश को अनुमोदित या निरस्त कर सकती है। अध्यादेश अनुमोदित हो जाने पर अधिनियम बन जाता है। किंतु विधानमण्डल द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रशासक इस निमित्त राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त करने के पश्चात् किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।

अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Other Union Territories)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी को छोड़कर शेष सभी संघ राज्य क्षेत्रों यथा- चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा दादरा और नागर हवेली का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्य आयुक्त द्वारा चलाया जाता है। प्रशासक, संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, राष्ट्रपति (केन्द्र सरकर) के नियंत्रण में रहते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करता है।

राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति

अनु. 240 के तहत राष्ट्रपति को निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में शांति, प्रगति और सुशासन हेतु विनियम बनाने की शक्ति दी गई है जो निम्न हैं:

- अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह,
- दादरा और नागर हवेली,
- दमन और दीव, तथा
- पुडुचेरी

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए विनियम तभी बना सकता है जबकि विधानसभा विघटित या निलम्बित हो गयी हो। यदि विधानसभा कार्यरत हो, तो राष्ट्रपति उसके लिए विनियम नहीं बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विनियमों का वही बल और प्रभाव होता है जो उस राज्य क्षेत्र में लागू संसद के किसी अधिनियम का होता है।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

अनु. 241 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या ऐसे राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय को संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है। संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर 1966 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों पर विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान की गयी है—जिसका विवरण निम्नलिखित हैं:

संघ राज्य क्षेत्र	उच्च न्यायालय
चण्डीगढ़	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पुडुचेरी	मद्रास उच्च न्यायालय (जो की चेन्नई में स्थित है)
लक्षद्वीप	केरल उच्च न्यायालय
अण्डमान और द्वीप समूह	कलकत्ता उच्च न्यायालय
दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली	मुम्बई उच्च न्यायालय

अध्याय सार संग्रह

- परम्परा के अनुसार राज्य का राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता है जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हो।
- राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।
- राज्यपाल किसी दण्ड को उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। उसे पूर्णतः क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में करेगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है।
- राज्यपाल को मृत्युदण्ड के केस में क्षमादान का अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन वह मृत्युदण्ड के केस में दण्ड को कम कर सकता है जैसा कि अप्रैल 2000 में तमिलनाडु के राज्यपाल ने राजीव गाँधी हत्याकाण्ड की अभियुक्त नलिनी के मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन करावास में बदल दिया, लेकिन राज्यपाल ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा।
- राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन वह इन्हें हटा नहीं सकता है। आयोग के सदस्य उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाये जा सकते हैं।
- राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य की विधानसभा में नियुक्ति कर सकता है।
- राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा कुछ विवेकाधीन कृत्यों को छोड़कर वह मंत्रि-परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी—वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा।
- प्रत्येक राज्य में एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल + विधान सभा + विधान परिषद (वर्तमान में केवल छः राज्यों में आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं जम्मू-कश्मीर) से मिलकर निर्मित होगा। जहां एक सदन है वहां राज्यपाल+विधान सभा मिलकर विधानमण्डल का निर्माण करेंगे।
- विधान मण्डल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य के निर्वाह में किये गये आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी।
- धन विधेयक के सम्बन्ध में विधान परिषद को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, सिवाय इसके कि वह विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकता है ।
- धन विधेयक सदन में राज्यपाल की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किया जाता है ।
- किसी विधेयक को राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद उसी रूप में विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी।
- भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है:
  1. वह राज्य का प्रधान होता है, तथा
  2. वह राज्य में केन्द्र सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि होता है।
- केवल असम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और नगालैण्ड के राज्यपाल को ही स्वविवेकी (कुछ) शक्तियाँ दी गई हैं।
- के. एम. मुंशी के अनुसार, 'राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केन्द्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है'।
- राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में संविधान सभा के सदस्य कनाडा के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थे। कनाडा में प्रांतीय राज्यपालों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा की जाती है तथा वे गवर्नर-जनरल के प्रसाद पर्यन्त ही अपने पद पर रह सकते हैं।
- असम के राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करने (देने) का अधिकार है।
- असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित कबीलों का विशेष ध्यान रखे।
- यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य विधानसभा में एंग्लो-इण्डियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है (एंग्लो इण्डियन का आरक्षण नहीं है)।
- राज्यपाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।
- राज्यपाल केन्द्र या राज्य विधांनमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद यह माना जायेगा कि सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है।
- राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उसकी-अनुपस्थिति में उच्च न्यालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थित में शपथ ग्रहण करेगा।
- राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
- राज्यपाल, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राज्य के वित्तमंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक बजट पेश करवाता है।
- जिस प्रकार राष्ट्रपति केन्द्र में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
- महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
- महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करे।